RCT/1581/2025

13.09.2025 **नेशनल लोक अदालत खंडपीठ कमांक–13**

प्रकरण आज दिनांक 13.09.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ कमांक 13 के समक्ष प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उप0 ।

अभियुक्त सहित श्रीमती रजनी पांचाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण नेशनल लोक अदालत हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पर धारा 352, 115(2) व 324(4) बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है।

अभियुक्त पर आरोपित अपराध की धारा 352, 115(2) व 324(4) बी.एन.एस. का अपराध धारा 359 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत न्यायालय की अनुमति से शमन योग्य है। फरियादी सागर से पूछे जाने पर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा बिना किसी डर दबाव, प्रलोभन के किया जाना भी दर्शित होता है। स्वेच्छया समझौता शमनीय अपराध के परिप्रेक्ष्य में राज्य के हित में भी है तथा इससे प्रकरण की बाहुलता भी कम हो सकता है। अतः आहत को अभियुक्त से शमन की अनुमति प्रदान की जाती है। उभयपक्ष की ओर से उभयपक्ष के छायाचित्र युक्त तथा हस्ताक्षरित शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आहत सागर की पहचान श्रीमती रजनी पांचाल अधिवक्ता द्वारा की गई हैं। आवेदकगण शमन हेतु सक्षम पक्षकार है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियोजित नहीं है। प्रस्तुत शमन आवेदन का स्वेच्छया एवं विधिपूर्ण होने से आवेदन स्वीकार करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित धारा 352, 115(2) व 324(4) बी.एन.एस. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त **रोशन पिता सागरसिंह, आयु–27 वर्ष, निवासी–674/2, बरोठा, जिला देवास** को **धारा 352, 115(2) व 324(4) बी.एन.एस.** के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है ।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

अन्वेषण जांच अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त की

निरोध अवधि के संबंध में धारा 468 बी.एन.एस.एस. का निरोध प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी0आई0एस0 में दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सुश्री पूजा शर्मा (अधिवक्ता)
लोक अदालत
खण्डपीठ क्रमांक–13
देवास (म.प्र.)

(श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पांडे)
न्यायिक सदस्य
लोक अदालत
खण्डपीठ क्रमांक–13
देवास (म.प्र.)

NIKITA VARSHNEY
Digitally signed by NIKITA VARSHNEY
Date: 2025.09.13 06:10:33 +0530